संख्या–2–ई.एम./2009–का–4–2010

प्रेषक,

वी0के0 शर्मा,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ, दिनांक 21 जनवरी, 2010

विषय– सेवा संघों द्वारा किये जा रहे आन्दोलनों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 26.11.2009 के द्वारा कतिपय सेवा संघों द्वारा किये जा रहे धरना/प्रदर्शन/हड़ताल करने के सम्बन्ध में निम्न विन्दुओं से आपको अवगत कराया गया था :–

(1) उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979 के नियम–4(ढ) में यह प्राविधानित है कि सेवा संघ सामान्य और सुचारू रूप से सरकारी कार्य संचालन में बाधा डालने या अवरोध उत्पन्न करने की दृष्टि से अपने सदस्यों को हड़ताल करने, धीरे कार्य करने अथवा कोई अन्य तरीका अपनाने के लिए न प्रेरित करेगा या उकसायेगा और न किसी प्रकार की सहायता देगा,

(2) उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम 5–ए (2) में यह प्राविधानित है कि कोई सरकारी सेवक अपने किसी सेवा संबंधी प्रकरण अथवा किसी अन्य के सेवा संबंधी प्रकरण में किसी प्रकार की कोई आन्दोलान्तमक कार्यवाही अथवा हड़ताल नही करेगा,

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग 2 से 4 के मूल नियम–11 में यह प्राविधानित है कि सरकारी कर्मचारी का पूर्ण समय सरकार के अधीन है और आवश्यकतानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा वह किसी भी प्रकार की सेवा में लगाया जा सकता है,

(4) उपर्युक्त नियमों से समस्त सरकारी सेवकों को अवगत कराने तथा सेवा संघों आदि के द्वारा नियमानुसार कार्य करने, धरना/प्रदर्शन एवं हड़ताल करने पर सहभागिता की स्थिति संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत नियमों के अनुसार कठोर कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये थे।

2. कतिपय संगठनों द्वारा किये जा रहे आन्दोलनों एवं हड़ताल के दृष्टिगत, शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :–

(1) उपर्युक्त सन्दर्भित समसंख्यक शासनादेश दिनांक 26.11.2009 के प्राविधानों के अनुसार तत्परता से कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

(2) धरना/प्रदर्शन, हड़ताल, वर्क–टू–रूल आदि में भाग लेने वाले कार्मिकों को 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धान्त के आधार पर उक्त अवधि का वेतन भुगतान न किया जाय।

(3) आन्दोलन आदि के उद्देश्य से अवकाश मॉगने वाले कार्मिकों का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।

(4) अनुमति के बिना कार्यालय से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के वेतन का भुगतान न किया जाय तथा अनुपस्थिति अवधि को सेवा में व्यवधान माना जाय।

(5) दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 प्रभावी होने के बावजूद धरना/प्रदर्शन/जुलूस/रैली/हड़ताल आदि में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए कार्यवाही की जाय।

(6) सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति को हानि पहुंचाने, तोड़–फोड़ करने तथा हिंसा में लिप्त होने वाले कार्मिकों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(7) कार्यालय आने वाले कार्मिकों को संरक्षण प्रदान किया जाय तथा व्यवधान डालने वाले कार्मिकों के विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाय।

3– अनुरोध है कि धरना/प्रदर्शन/हड़ताल आदि में भाग लेने वाले कार्मिकों के विरूद्ध उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(वी0के0 शर्मा)
मुख्य सचिव